

93

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

विविध आदेश

क्रमांक.....65/

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 16/04/2024

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री सचिन साहू, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मनगंगा की न्यायालय वर्तमान में रिक्त होने तथा श्री दिलीप महोर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा को 15 दिवस मनगवाँ श्रृंखला न्यायालय में बैठक हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मनगंगा के न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य समस्त सिविल प्रकरणों व उक्त न्यायालय के समस्त आपराधिक प्रकरण को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मनगंगा के रिक्त न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री दिलीप महोर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मनगंगा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रृंखला न्यायालय मनगंगा के न्यायालय में अंतरित किये जाते है।

sd/-

(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 1928/

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 16/04/2024

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा।
 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मनगंगा/
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रृंखला न्यायालय मनगंगा।
 3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, मनगंगा।
 4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
 5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)